संख्या-66/2020/791/71-1-2020-जी-202/2016

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 25 मार्च, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज, आजमगढ़, आगरा, कन्नौज तथा बॉदा में स्थापित गैर चिकित्सकीय उपकरणों के अनुरक्षण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/812, दिनॉक 11-03-2020 तथा पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/701, दिनॉक 20-02-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों में स्थापित गैर चिकित्सकीय उपकरणों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, प्रयागराज, आजमगढ़, आगरा, कन्नौज तथा बॉदा हेतु "अनुरक्षण" मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 16,48,99,000.00 के सापेक्ष धनराशि रू0 3,99,15,680.92 (रू0 तीन करोड़ निन्याबे लाख पन्द्रह हजार छ: सौ अस्सी एवं बानबे पैसे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है-

| **क्र0** | **मेडिकल कालेज का नाम** | **अवमुक्त की जाने वाली धनराशि** |
|---|---|---|
| 1 | मेडिकल कालेज, प्रयागराज | 83,72,442.92 |
| 2 | मेडिकल कालेज, आजमगढ़ | 6,21,556.00 |
| 3 | मेडिकल कालेज, आगरा | 70,63,056.00 |
| 4 | मेडिकल कालेज, कन्नौज | 2,28,10,154.00 |
| 5 | मेडिकल कालेज, बॉदा | 10,48,472.00 |
| | | 3,99,15,680.92 |

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय -समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तथा नियमानुसार औचारिकताएं पूर्ण कराकर कार्य कराया जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0376-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

( एस0 पी0 सिंह )
अनु सचिव

संख्या:- 66/2020/791(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, प्रयागराज, आजमगढ़, आगरा, कन्नौज तथा बॉदा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, प्रयागराज, आजमगढ़, आगरा, कन्नौज तथा बॉदा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज, आजमगढ़, आगरा, कन्नौज तथा बॉदा।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( एस0 पी0 सिंह )
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।